(18)

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस

म्युनिशपल अपील संख्या:– 13/2018

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
Jodhpur Multifunctional Complex Private Limited (COSMOPOLITAIN HOTAL AND TATA MOTORS), पता वीरप्रभु मार्केटिंग स्टेशन रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि ।	बनाम	1. जोधपुर नगर निगम, जोधपुर जरिये आयुक्त, नगर निगम कार्यालय जोधपुर । 2. श्री रणवीरसिंह दैय्या, निदेशक जोधीपुर नगर निगम जॉन–शहर जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 121, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 विरूद्ध वारंट क्रमांक 25346 दिनांक 22.08.2018 एवं इसी कड़ी मे जारी अंतिम सूचना पत्र क्रमांक 23218 दिनांक 21.02.2018 जो नगरनिगम जोधपुर द्वारा धारा 131(1), राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 131, 132, 133 के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए नगरीय कर रूपये 3,76,635/– जमा कराने हेतु अपीलांट को प्रदान किया।

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 20.02.2019

1– श्री ऋषभ तायल एवं श्री मुकेश दवे अधिवक्तागण (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री जयपालसिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रत्यर्थीपक्ष)

:– आदेश –:

संक्षिप्त में अपील अपीलार्थी के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीपक्ष को रेलवे विभाग द्वारा मैसर्स IRCON INTERNATIONAL Limited के मार्फत रेलवे स्टेशन जोधपुर पर विकसित करवाकर अपनी सम्पति के उक्त पते पर स्थित भू–भाग को लीज पर प्राप्त सम्पति में अपना होटल व्यवसाय कर रहे है। नगर निगम जोधपुर ने दिनांक 30.01.2018 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 130 के तहत अपीलार्थीपक्ष को उक्त परिसर के वर्ष 2016–17 एवं 2018 तक नगरीय कर राशि रूपये 3,76,635/– जमा कराने का

लगातार...

मांग पत्र जारी किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 21.02.18 अंतिम नोटिस क्रमांक 23815 व उसके अधीन वारंट दिनांक 22.03.18 को जारी किया गया जिस पर अपीलार्थीपक्ष ने अण्डर प्रोटेस्ट रकम चैक द्वारा जमा करवाई गई तथा प्रत्यर्थीपक्ष के उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर यह अपील मीमों पेश हुआ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री जयपालसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया तथा मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई। दिनांक18.02.19 को बहस भी सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीपक्ष ने रेलवे विभाग द्वारा मैसर्स IRCON INTERNATIONAL Limited के मार्फत रेलवे स्टेशन, जोधपुर पर विकसित करवाकर अपनी सम्पति के उक्त पते पर स्थित भू–भाग को लीज पर प्राप्त सम्पति में अपना होटल व्यवसाय कर रहे है। भारत सरकार के रेलवे विभाग की किसी भी अचल सम्पति पर स्थानीय निकाय को किसी प्रकार का कर इत्यादि वसूलने का अधिकार नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि नोटिस अन्तर्गत सम्पति रेलवे विभाग की है जो अपीलांट को रेलवे विभाग द्वारा लीज पर दी है। बहस में यह भी बतलाया कि भारत में रेलवे की सम्पतियों को IRCON INTERNATIONAL Limited से विकसित करवाकर विभिन्न लोगों को लीज पर दिया हुआ है। रेलवे विभाग द्वारा नगर निगम जोधपुर के राजस्व अधिकारी को पत्र दिनांक 20.03.18 को प्रेषित कर अवगत कराया गया COSMOPOLITAIN HOTAL AND TATA MOTORS जो स्टेशन रोड़ स्थित है तथा Multifunctional Complex पर रेलवे का स्वामित्व है एवं रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 185 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत राज्य के, कर से, संघ की सम्पति पर छूट प्राप्त है। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलार्थीपक्ष के लीजसुदा परिसर पर किसी प्रकार का नगरीय विकास कर देय नहीं होता है, परन्तु नगर निगम ने मनमाने तरीके से प्रारम्भ से ही शून्य, नियम व विधि विरूद्ध अपीलाधीन मांग पत्र व वारंट जारी किया गया जो निरस्त योग्य है।

बहस के निरन्तर में कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 107 में **"करारोपण से छूट** " ऐसे किन्ही भी भूमियों, भवनों, यानों, वाहनों और नौकाओं के संबंध में, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के हो या उनमें निहित हो, उद्गृहणीय नहीं होगा। अतः धारा 107 के दिये प्रावधानों के विपरीत होने से मांग पत्र एवं वारंट निरस्त योग्य हे। रेलवे अधिनियम एक विशेष अधिनियम है व उसकी धारा 184 के द्वारा रेलवे की किसी भी भूमि/सम्पति व रेलवे प्रशासन पर किसी भी प्रकार का कर स्थानीय प्राधिकरण/निकाय वसूल नहीं कर सकता है। प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा उल्लेखित अधिसूचना राजस्थान राज्य सरकार की अधिसूचना है जो केन्द्र सरकार के अधिनियम के प्रावधानों को ऑवरलेप या शून्य नहीं करती है। बहस के अंत में अपीलाधीन अंतिम नोटिस व वारंट निरस्त करने की इस्तदुआ की।

लगातार...

बहस के समर्थन में 1993 Raj. CANDID पेज– 472, 1992(1)SCC- पेज 100, 1996(7) SCC- पेज 542, 2003(Guj) AIR पेज.87, 2004(3) SCC- पेज. 92, 2007(11) SCC- पेज 324 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि नगर निगम जोधपुर की ओर से यू.डी. टेक्स का नोटिस जारी होने एवं नोटिस प्राप्ति के पश्चात् Jodhpur Multifunctional Complex के द्वारा दिनांक 13.03.2018 को गलत तथ्यों के आधार पर जबाब प्रस्तुत किया गया तथा मांग पत्र के अनुसार नगरीय कर जमा नहीं करवाये जाने पर दिनांक 21.02.18 को अंतिम नोटिस जारी किया गया इसके पश्चात् भी राशि जमा नहीं कराये जाने पर अधिनियम की धारा 121(1) के तहत वारंट क्रमांक 25346 दिनांक 22.03.18 जारी किया गया, इस पर अपीलार्थीपक्ष दिनांक 22.03.18 को जरिये चैक राशि रूपये 3,76,635/– जमा करवाये गये अतः दिनांक 21.02.18 के आधार पर जारी वारंट दिनांक 22.03.18 के आदेश की पालना होने से यह अपील निरस्त योग्य हे। बहस में आगे यह भी बतलाया कि रेलवे विभाग द्वारा मैसर्स IRCON INTERNATIONAL Limited के मार्फत रेलवे स्टेशन जोधपुर पर विकसित करवाकर उक्त सम्पति को अपीलार्थी को व्यवसाय करने हेतु लीज पर दी गई थी, जिस पर अपीलार्थी के द्वारा अपना व्यवसाय किया जा रहा है अर्थात् लीज पर दिए जाने के बाद अपीलार्थीपक्ष के द्वारा व्यवसाय के लिए उपयोग व उपभोग में ली जा रही है अतः नगरीय कर विधि के अनुसार प्रत्यर्थीपक्ष प्राप्त करने का का विधिक अधिकारी है। आगे यह भी कहा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। धारा 107 में विभिन्न सम्पतियों पर करारोपण में छूट प्रदान की गई है, जिसमें धारा 102 व 103 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर नगर पालिका द्वारा नगर पालिका की या उसमें निहित किसी भी सम्पति के संबंध में उद्रहणीय नहीं होगा, परन्तुक जब तक नगर पालिका द्वारा अन्य व्यक्तियों की वैसी ही सम्पतियां पर ऐसा कोई कर उदग्रहीम किया जाता रहे, तब तक इस उपधारा की कोई भी बात नगर पालिका को उस कर का उदग्रहण करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की कोई भूमियों, भवन, यान वाहन, नौकये 26 जनवरी, 1950 के ठीक पूर्व दायी थे या दायी माने जाते थे, परन्तु यह और कि राज्य सरकार की उसमें निहित कोई भी भवन, यान, वाहन या नौका ऐसे किसी भी कर के संदाय से छूट प्राप्त रहेगे यदि उनका उपयोग मात्र लोक परियोजनार्थ के लिए किया जाता हो या किया जाना आशयित है, न की लाभ के प्रयोजनार्थ के लिए। बहस में आगे बतलाया कि राजस्थान राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) (3) नियम/डीएलबी 10/9356 दिनांक 24.07.2016 जारी हुई जिसमें स्पष्ट से अंकित किया है कि केन्द्र सरकार की व्यवसायिक उपयोग में आ रही सम्पतियों में भी कर लागू होगा, इस कारण से अपीलार्थी से उपरोक्त नगरीय विकास कर वसूल किया गया। अंत अपील सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

लगातार...

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन यही है कि रेलवे की सम्पति जो अपीलार्थीपक्ष को लीज पर दे रखी है तथा वर्तमान में अपीलार्थीपक्ष व्यवसाय संचालन किया जा रहा है वो रेलवे की भूमि होने से प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा नगरीय विकास कर अपीलाधीन मांग पत्र दिनांक 21.02.2018 एवं उसके पश्चात् जारी वारंट राशि 3,76,635/–रूपये की वसूली जारी करना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से विधि विरूद्ध है इस बाबत् अपीलार्थीपक्ष की ओर से रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 एवं 1993 Raj. CANDID पेज– 472, 1992(1)SCC- पेज 100, 1996(7) SCC- पेज 542, 2003(Guj) AIR पेज.87, 2004(3) SCC- पेज.92, 2007(11) SCC- पेज 324 पर दिये गये न्याय निर्णयों के दृष्टांश पेश किय गये। उपरोक्त न्याय निर्णयों में केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालय या रेलवे विभाग के कार्यालय संचालन होने से स्थानीय निकायों द्वारा समय समय पर चुंगी कर या सेवाकर चुकाने का मांग पत्र जारी किये गये, उन पर बिन्दुओं पर अभिनिर्धारित किया गया एवं रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 में भी स्पष्ट किया गया कि रेलवे प्रशासन किसी प्रकार का स्थानीय कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं है, परन्तु विवादित प्रकरण में रेलवे विभाग स्वयं द्वारा अपनी सम्पति में लोक प्रयोजनार्थ व्यवसाय/उपयोग न कर, अपीलार्थीपक्ष को रेलवे विभाग की भूमि/सम्पति लीज पर दी गई है अर्थात् अपीलार्थीपक्ष का व्यवसाय/उपयोग लोक प्रयोजनार्थ के लिए न होकर, लाभ प्रयोजनार्थ किया जा रहा है अतः उक्त न्याय निर्णयों के तथ्य एवं प्रस्तुत अपील के तथ्य भिन्न भिन्न होने से इस प्रकरण में ग्राह्य योग्य नहीं है।

द्वितीयत् राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/ डीएलबी/10/9356 दिनांक 24.08.2016 के द्वारा कर उद्गृहीत करने के दिशा निर्देश जारी किये गये, उसके बिन्दु xiii. के अनुसार केन्द्र सरकार की व्यवसायिक उपयोग में आ रही सम्पतियों पर भी कर लागू होगा, बताया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की 107– **करारोपण से छूट**– धारा 107 की उपधारा(2) के **द्वितीय परन्तुक** में स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार की या उसमें निहित कोई भी भूमि, भवन, यान, वाहन या नौका ऐसे किसी भी कर के संदाय से छूट प्राप्त रहेगें यदि उनका उपयोग **मात्र लोक प्रयाजनों** के लिये ही किया जाता हो या किया जाना आशयित हो, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिये। । अतः ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा जारी नगरीय विकास कर वसूली का अपीलाधीन मांग पत्र हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीपक्ष द्वारा रेलवे विभाग की सम्पति लीज पर लेकर लाभ प्रयोजनार्थ व्यवसाय/उपयोग करने से नगरीय विकास कर के रूप राशि वसूल करने के लिए प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा की गई अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है तथा अपील सारहीन

लगातार...

होने से निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्च वहन करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।